

## प्रधानप्रदेश शासन

### वन विभाग

#### मंत्रालय, बल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक एस-3/136/10-2/2000

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी, 2001

श्री,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रधानप्रदेश,  
भोपाल।

**विषय:-**ग्राम स्वरूप की स्थापना।

प्रदेश ने ग्राम स्वरूप लागू करने के नियंत्रण में गठित किये गये टार्क फोर्स के अनुकूलताकारों के आदार पर निर्णयित अधिकार ग्राम सभाओं को प्रत्यक्षोर्जित किये जाते हैं।-

1. इन वन प्रबंधन के अंतर्गत गठित समृद्ध बकार की समितियों का संचालन ग्राम सभा के नियंत्रण में होना अधिकार हेतु में स्थित वनों के संरक्षण की प्रियोत्तमी ग्राम सभा की होगी वही टार्क की व्यवस्था होगी। ग्राम की अपनी इसमें जरूरतों जैसे चर्चा, जलाल लकड़ी इत्यादि के लिये अधिकार घर और हल बनाने जैसी जरूरतों लिये बांध, बल्ली बांध नियांसने के लिये ग्राम सभा संबंधित अधिकारियों की सहायता देने के उपर्युक्त जैसे एक दोजना बनायेगी।
2. ग्राम सभा क्षेत्र में स्थित वनों के विभागीय दोहन वा कार्यक्रम बनाने के पक्षते वन विभाग के लिये ग्राम सभा से परामर्श अनिवार्य होगा।
3. ग्राम सभा क्षेत्र में स्थित वनों के विभागीय दोहन वा कार्यक्रम बनाने के पक्षते वन विभाग के लिये ग्राम सभा के एक सभार्सी अनिवार्य होगा।
4. क्षेत्रों में वनों के संरक्षण, पर्यावरण में सुधार और स्थानीय सस्तर पर रेखांग बदाने के उद्देश्य से उपर्युक्त कार्यक्रम बनाने के लिये सक्षम होगी।
5. ग्राम सभा अपने क्षेत्र से निकलने वाली या गुजरने वाली लकड़ियों और इनोपज की जांच पड़ताल के लिये सक्षम होगी।
6. अराईपक्षत लघु बनोपज के विकास, संरक्षण, संग्रहण, विषयन के सम्बन्ध अधिकार।
7. लघु बनोपजों के गौर नाशवान विदोहन के लिये ग्राम सभा क्षेत्र में पाई जाने वाली नाश की सीन ग्राम सभा तय करेगी।
8. राष्ट्रीकृत लघु बनोपजों के संवध में ग्राम सभा संबंधित अधिकारों को शासन के निर्देशों के पालन में सहायता देगी।
9. वोई ग्राम सभा अपने क्षेत्र के लिये अधिक ग्राम सभा जैसे किसी जिला या विकास खण्ड के सभी ग्रामसभायें व्यापक क्षेत्र के लिये वन विभाग से सलाह वा के अराईपक्षत बनोपज की खोट के लिये न्यूनतम मूल्य या विभिन्न वस्तुओं के बीच वस्तु विनिमय की दर निर्धारित करेगी।
10. कृषि वानिकी एवं सामाजिक वानिकी को जोत्साहन देना।

11. अराष्ट्रीयकृत औषधी पौधों का संबर्धन, रुद्ध-रेखाओं एवं उसके बाह्यकार पर नियंत्रण।

12. दर्ज सुल्क की वसूली।

दह व्यवस्था दिनांक 26 जनवरी, 2001 से प्रभाग्यर्थक होगी।

हस्ता/-

(घर्मेन्द्र सुदल्ला)

अंपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक २५/३/२००१ दर्ता

पृ. क्रमांक-3/136/10-2/2000

प्रतिलिपि:-

1. अनुबंध सचिव, पंज. रत एवं मानीष विकास अधिकारी भोपाल।
2. समस्त अंपर प्रशान्त मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश।
3. समस्त तंत्राधार्यकृत, मध्यप्रदेश।
4. समस्त वन संरक्षक, मध्यप्रदेश।
5. समस्त विलाच्छक, मध्यप्रदेश।
6. समस्त वनवड़ाधिकारी, मध्यप्रदेश।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, निलंबन प्राप्तकर्ता,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवरक कार्दवाली हेतु अंगेष्ठित।

हस्ता/-

अंपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन जै।